

रा.रा.स.मु.लि., जयपुर/2004

प्रारूप आर.एस. 5.18 ख  
(नियम 5.9 (1) (xii) देखिए)

### किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था की बस के सम्बन्ध में परमिट

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय.....जयपुर परमिट सं. आर.एस.

20/5/13/05

#### भाग-क

1. धारक का नाम : ..... बी.टी.बी. विद्याभ्रम, ओ.टी.एस. के.एस.के. जवाहर लाल नेहरूमार्ग, जयपुर ।
  2. पता : .....
  3. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह : ..... आरजे।4/।पी।465 मॉडल 2001 बस सीट35 समस्त
  4. कुल बैठक क्षमता : ..... 35 सीटसमस्त
  5. वह मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए : ..... जयपुर जिला
- परमिट विधिमन्य है
6. परमिट.....4.3.2010.....तक विधिमन्य है, अवसान का दिनांक.....5.3.2015.....
  7. परमिट धारक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (4क) में उल्लिखित परमिट की शर्तों.....

दिनांक..... 5.3.2015



सचिव/कार्यपालक अधिकारी  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

#### नवीनीकरण

परमिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए.....20.....तक नवीकृत किया जाता है :-

दिनांक.....

Renewed upto 05.3.2015  
wef. 24.2.10

Secretary

Renewed upto 04.03.2020  
wef. 19.03.2015

सचिव/कार्यपालक अधिकारी  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

रा.सा.स.मु.लि., जयपुर/2004

प्रारूप आर.एस. 5.18 ख

## किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था की बस के सम्बन्ध में परमिट

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय ..... जयपुर

भाग-ख



1. विशिष्ट शिक्षा संस्था का बस परमिट सं..... (आर.एस. 5.18 ख)
2. धारक का नाम : बी.वी.बी. विद्याभ्रम जयपुर । ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर ।
3. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह : आर.ए. 14/1पी।465 मॉडल 2001 बस सीट 35 समस्त
4. मार्ग/क्षेत्र : जयपुर जिला
5. अवसान की तारीख : 5.3.2005 से 4.3.2010
6. परमिट धारक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (4क) में उल्लिखित परमिट की शर्तों का पालन करेगा।

दिनांक.....5.3.2005

*[Handwritten signature]*

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

*[Handwritten signature]*

नवीकरण

.....20..... तक नवीकृत

Renewed upto 04/03/2015  
w. e. f. 19/03/2015

Secretary, R.T.C., Jaipur

दिनांक.....

Renewed upto 04.03.2020 ←  
w.e.f. 19.03.2015

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

*[Handwritten signature]*  
अति. सचिव  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी  
जयपुर



जयपुर/2004

प्रारूप आर.एस. 5.18 ख  
(नियम 5.9 (1) (xii) देखिए)

**किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था की बस के सम्बन्ध में परमिट**

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय जयपुर परमिट सं. आर.एस.

203  
11/1/05

**भाग-क**

प्रादेशिक जयपुर

1. धारक का नाम : विद्याश्रम
2. पता : के.एम. मुंशी मार्ग, ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर।
3. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह : आ.रे। 4/1पो। 472 मॉडल 2001, 26 सीटसमस्त मिनीबस
4. कुल बैठक क्षमता : 26 सीटसमस्त
5. वह मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है : जयपुर जिला
6. परमिट 10.1.2010 तक विधिमान्य है, अवसान का दिनांक 11.1.2005.
7. परमिट धारक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (4क) में उल्लिखित परमिट की शर्तों का पालन करेगा।

दिनांक 11.1.2005

Renewed upto 10/1/2015  
W. No. 2512110

Secretary, B. T. Deptt.

सचिव/कार्यपालक अधिकारी  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

**नवीनीकरण**


परमिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए 20 तक नवीकृत किया जाता है :-

Renewed upto 10.01.2020  
wef. 19.03.2015

दिनांक

अति. सचिव  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी  
जयपुर

सचिव/कार्यपालक अधिकारी  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी



जयपुर/2004

प्रारूप आर.एस. 5.18 ख

### किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था की बस के सम्बन्ध में परमिट

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी कार्यालय.....जयपुर.....

203  
11/1/05

भाग-ख

प्रादेशिक विशिष्ट शिक्षा संस्था का बस परमिट सं.....(आर.एस. 5.18 ख)

1. धारक का नाम : विद्याश्रम, के.एम. मुंशी मार्ग, ओ.टो.एच. फेसामने, जयपुर
2. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह : आरजे 4/पो 1472 मॉडल 2001 मिनाबस सोट 26समस्त
3. मार्ग/क्षेत्र : जयपुर जिला
4. अवसान की तारीख : 11.1.2005 से 10.1.2010
5. परमिट धारक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (4क) में उल्लिखित परमिट की शर्तों का पालन करेगा।

दिनांक..... 11.1.2005

Renewed upto 10/1/2015  
w. e. f. 25/2/10

Secretary, J.P.W.T. Jaipur

25/2/10

सचिव/कार्यपालक अधिकारी  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी  
जयपुर

### नवीनीकरण

Renewed upto तक नवीकृत  
w. e. f. 10.01.2020  
19.03.2015

अति. सचिव  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी

दिनांक.....

जयपुर

सचिव/कार्यपालक अधिकारी  
परिवहन प्राधिकारी